Fin 33
FCRA application / Prior permission / Maintaining book of accounts
FCRA की अर्जी करना / पूर्व अनुमती / हिसाब लिखना

FCRA कानून के अंतर्गत पूर्व अनुमती के लिये रु. 1000/- और पंजीकरण के रु. 2000/- फीज भरनी होती है। ये अर्जी इंटरनेट द्वारा भरकर बाद में हार्ड कॉपी भेज सकते है । FCRA की अर्जीपर कार्यवाही करने के लिये 20 दिनों का समय दिया गया है । अगर अर्जी नामंजूर कर दी गयी तो डिपार्टमेंट को उसका कारण देना पडता है ।

FCRA के लिये निम्मलिखित दस्तावेज जरूरी है :

- अर्जी की हार्ड कॉपी
- संस्था के पंजीकरण के दस्तावेज की प्रभावित प्रत
- पिछले तीन सालों में किये गये कार्य की जानकारी
- पिछले तीन सालों के ऑडीटेड अकाउंटस् (फायनान्शीयल स्टेंटमेंट)
- फॉर्म FC3

इंटरनेटद्वारा फॉर्म भेजते समय उसके साथ कुछ दस्तावेज जोड़ना (अटॅच) जरूरी है ।

- डोनर से प्रतिबद्धता का पत्र
- फॉर्म FC4
- अगर ''FCRA प्रमाणपत्र'' मिला तो आप की संस्था डोनर से निधी ले सकती है, ऐसे आशय का पत्र ।
- परियोजना की प्रत
- इंटरनेटद्वारा भेजे गये अर्जी की हार्ड कॉपी

अगर आपकी अर्जी नामंजूर हुई या उसके ऊपर निर्णय देने का समय निकल गया तो छह महिने बाद आप फिर से अर्जी कर सकते है । अगर आपका पंजीकरण रदद् किया गया तो आप कम से कम तीन साल होने के बाद ही फिर से अर्जी कर सकते है । नये कानुन के मुताबिक रद्द किये हुए FCRA अकाउंट की पूरी संपत्ती पर सरकार कब्जा करेगी और नियंत्रण रखेगी ।

FCRA अकांउट से किसी के भी वैयक्तिक/निजी अकाउंट में पैसा ट्रान्सफर नहीं हो सकता । FCRA अकाउंट से संस्था के अकाउंट में भी पैसा ट्रान्सफर नहीं किया जा सकता । अगर विदेश से मिला हुआ डोनेशन उपयोग में लाना है और इसलिये संस्था कुछ लिंक अप बैंक अकाउंट खोलती है तो मंत्रालय को 15 दिनो में जानकारी देना जरूरी है । अगर किसी को एक करोड़ रुपये से ज्यादा राशी विदेश से मिलती है तो बैंक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो RBI को इसकी जानकारी दे । अगर किसी संस्था को अनुमती लेने से पहले विदेशी राशी मिलती है तो मंत्रालय को इसकी जानकारी देना जरूरी है । अगर किसी भी संस्था को एक साल में रुपये एक करोड़ से अधिक राशी विदेश से मिलती है तो इस पैसे का हिसाब लोगों के सामने रखना बंधनकारी है । आप लोगों को हिसाब दिखाने के लिये इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते है ।